उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं उपस्थित प्रतिवादीगण ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की तथा वाद को माफिक बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल दिनांक 07.12.2022 प्राथमिक डिक्री के अनुसार स्वीकार किये जाने में पक्षकारान् की सहमति है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 10 से 14 क्रमशः भंवरी, हरकु, इमरति, सेबुड़ी व मनू ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 1463 दिनांक 07.12.2022 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी मंगाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा के खेत खसरा नम्बर 93/587 रकबा 7.0415 हैक्टेयर में से 1.3879 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषिणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 उमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा के खेत खसरा नम्बर 93/587 रकबा 7.0415 हैक्टेयर में से 1.3879 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषिणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 रामचन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा के खेत खसरा नम्बर 93/587 रकबा 7.0415 हैक्टेयर में से 1.3879 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषिणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 मानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा के खेत खसरा नम्बर 93/587 रकबा 7.0415 हैक्टेयर में से 1.3879 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषिणा कि जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 5 से 8 क्रमशः डाली, हनुमान, राजू, व सोनू के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा के खेत खसरा नम्बर 93/587 रकबा 7.0415 हैक्टेयर में से 1.3879 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषिणा कि जाती है।
6. वादी मंगाराम व प्रतिवादी उमाराम, रामचन्द्र, मानाराम, डालीदेवी, हनुमान, राजूराम, सोनू के संयुक्त हक बंट में मौजा तंवरा के खसरा नम्बर 93/587 रकबा 7.0415 हैक्टेयर में से 0.1020 हैक्टेयर रास्ते हेतु नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषिणा कि जाती है।
7. प्रतिवादी संख्या 4 धन्नाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नम्बर 76/582 रकबा 2.0234 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

उपखण्ड कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

8. प्रतिवादी संख्या 9 लखुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खसरा नम्बर 148/585 रकबा 0.3237 हैक्टेयर यथावत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाति है।

9. प्रतिवादीगण संख्या 10 से 14 क्रमशः भंवरी, हरकु, इमरति, सेबुड़ी व मनू के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

माफिक वादपत्र के संलग्न तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 21.3.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner